

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज | नम्बर अहकाम ज को तामील हु |
|---------------|---|------------------------------------|
| 05.06.24 | <p>राजस्व अपील सं० 409/2022 अनवान मनोज बोथरा बनाम शांति के का०मु० वगैरा</p> <p>पत्रावली उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व मिसल तलबी के प्रार्थना पत्र के क्रम में तलब की जाकर आज दिनांक को तारीख पेशी पर ली गई।</p> <p>अपीलांट—श्री मनोज बोथरा एवं रेस्पोंसं० 1/1—सोमादेवी स्वयं तथा उनके अधिवक्ता कमशः श्री सिद्धार्थ परिहार एवं एम.डी. मेहर उपस्थित। रेस्पोंसं० 2 से 10 जरिये खास मुख्तयार— नामा रेस्पोंसं० 1/1—सोमादेवी मय अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>अपीलांट एवं रेस्पोंसं० 1/1 से 10 व उनके अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार अपीलांट—मनोज बोथरा के पक्ष में तहसील लूणी स्थित ग्राम भाकरासनी के खसरान नं० 185 में से जरिये पंजीबद्ध बेचानामों से कयसुदा भूमि में रेस्पोंसं० 1 से 10 के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अर्थात् अपीलांट मनोज बोथरा की कयसुदा भूमि के अलावा उक्त खसरान का शेष रकबा भूमि में रेस्पोंसं० 1/1 से 10 का हित अधिकार सुरक्षित है।</p> <p>अतः जरिये राजीनामा अपीलांट के हक व हिस्से तक की कयसुदा भूमि को अपीलाधीन आदेश से मुक्त रखते हुए उक्त खसरान की शेष रकबा भूमि रेस्पोंसं० 1/1 से 10 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व अपील सं० 18/2021 अनवान शांति वगैरा बनाम सुरजाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2022 को यथावत रखा जाकर, अपील अपीलांट जरिये राजीनामा निस्तारित की जाती है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।</p> | |



(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

05/06/24